प्र.स.03 / 2026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,राजसमंद

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या : 03 / 2026

दायर दिनांक : 28.01.2026

निर्णय दिनांक : 25.05.2026

–: अनवान :–

प्रशासक ग्राम पंचायत स्वादड़ी पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
– निगराकार

बनाम

श्री राम सिंह पिता गोवर्धनसिंह रावत निवासी सीमार स्वादड़ी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
– गैर निगराकार

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत स्वादडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 29.11.2022 के विरूद्ध निगरानी</u>

उपस्थितः–

1– श्री मनीष जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी / निगराकार
2– अप्रार्थी / गैर निगराकार अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी ने स्वयं के पैतृक मकान के सम्बन्ध में पट्टा चाहने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया साथ ही शपथपत्र प्रस्तुत किया कि उक्त मकान ग्राम की आबादी भूमि बना होने का दिया तथा विपक्षी के आवेदन के आधार पर पैतृक मकान के सम्बन्ध ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टा जारी किया । आराजी संख्या 269 व आराजी संख्या 274 पुर्व में ग्राम स्वादडी 'ए' में स्थित रही वर्तमान में नये राजस्व ग्राम सृजित होने से उक्त आराजियात राजस्व ग्राम धामणिया पटवार हल्का स्वादडी 'ए' में आ गई है। ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विस्तृत जाँच करने पर यह जानकारी में आया कि विपक्षी ने आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भुमि में नहीं होकर आराजी संख्या 274 चरनोट की भुमि में पट्टा प्राप्त कर लिया दोनो आराजियात पास स्थित होने से आक्षेपित पट्टा चरनोट की भुमि में जारी हो गया इस कारण निगराकार आक्षेपित पट्टे के सम्बन्ध इन आधारो पर प्रस्तुत कर रहे है कि आक्षेपित पट्टा जो विपक्षी ने जारी कराया वह गलत है। विपक्षी ने पैतृक मकान को गलत रूप से गांव की आबादी भुमि पर स्थित होने का कथन कर जो आक्षेपित पट्टा जारी कराया वह गलत है। आक्षेपित पट्टे

की भुमि गांव की आबादी भुमि नही होकर चरनोट भुमि है। चरनौट भुमि के लिये नियम 157 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत विपक्षी को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही है, विपक्षी निगराकार ने गलत अभिवचन कर जो पट्टा प्राप्त किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम वासियों द्वारा आक्षेप करने पर ग्राम पंचायत द्वारा जॉच करने पर जानकारी में आया कि विपक्षी को जारी आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भुमि आराजी संख्या 269 में नही होकर आराजी संख्या 274 चरनौट की भुमि जारी हो गया क्योकि दोनो आराजियात पास पास स्थित होने से सहवन से आक्षेपित पट्टा जारी हो गया जानकारी होने पर ग्राम पंचायत ने विपक्षी द्वारा गलत तथ्य बता पट्टा प्राप्त करने का कहा तो विपक्षी ने इस सम्बन्ध में स्टाम्प पर पट्टा निरस्ती करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को लिख कर दिया। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 29/11/2022 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने स्वयं के पैतृक मकान के सम्बन्ध में पट्टा चाहने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया साथ ही शपथपत्र प्रस्तुत किया कि उक्त मकान ग्राम की आबादी भूमि बना होने का दिया तथा विपक्षी के आवेदन के आधार पर पैतृक मकान के सम्बन्ध ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टा जारी किया । आराजी संख्या 269 व आराजी संख्या 274 पुर्व में ग्राम स्वादडी 'ए' में स्थित रही वर्तमान में नये राजस्व ग्राम सृजित होने से उक्त आराजियात राजस्व ग्राम धामणिया पटवार हल्का स्वादडी 'ए' में आ गई है। ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विस्तृत जाँच करने पर यह जानकारी में आया कि विपक्षी ने आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भुमि में नहीं होकर आराजी संख्या 274 चरनोट की भुमि में पट्टा प्राप्त कर लिया दोनो आराजियात पास स्थित होने से आक्षेपित पट्टा चरनोट की भुमि में जारी हो गया इस कारण निगराकार आक्षेपित पट्टे के सम्बन्ध इन आधारो पर प्रस्तुत कर रहे है कि आक्षेपित पट्टा जो विपक्षी ने जारी कराया वह गलत है। विपक्षी ने पैतृक मकान को गलत रूप से गांव की आबादी भुमि पर स्थित होने का कथन कर जो आक्षेपित पट्टा जारी कराया वह गलत है। आक्षेपित पट्टे की भुमि गांव की आबादी भुमि नही होकर चरनोट भुमि है। चरनौट भुमि के लिये नियम 157 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत विपक्षी को पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही है, विपक्षी निगराकार ने गलत अभिवचन कर जो पट्टा प्राप्त किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम वासियों द्वारा आक्षेप करने पर ग्राम पंचायत द्वारा जॉच करने पर जानकारी में आया कि विपक्षी को जारी आक्षेपित पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भुमि आराजी संख्या 269 में नही होकर आराजी संख्या 274 चरनौट की

भुमि जारी हो गया क्योकि दोनो आराजियात पास पास स्थित होने से सहवन से आक्षेपित पट्टा जारी हो गया जानकारी होने पर ग्राम पंचायत ने विपक्षी द्वारा गलत तथ्य बता पट्टा प्राप्त करने का कहा तो विपक्षी ने इस सम्बन्ध में स्टाम्प पर पट्टा निरस्ती करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को लिख कर दिया। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 29/11/2022 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारणीय प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत स्वादड़ी द्वारा विपक्षी श्री रामसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 29.11.2022 के विरूद्ध उक्त निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि गैर निगराकार के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया परंतु ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति करने पर ग्राम पंचायत द्वारा जांच की गई जिसमें यह सामने आया कि आक्षेपित पट्टा आबादी भूमि में नहीं होकर आराजी संख्या 274 चरनोट की भूमि में जारी हो गया जिसे निरस्त कराने हेतु उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में गैर निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति पत्रावली के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई।

अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत स्वादडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 29.11.2022 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत स्वादडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 29.11.2022 को निरस्त किया जाता है।

नरेश बुनकर 26/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नरेश बुनकर 26/05/2026

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द